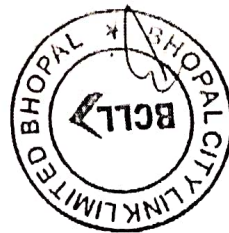


वेतन वृद्धि संबंधी गौशवारा

क्रमांक	वेतन वृद्धि वर्ष	वेतन वृद्धि का विवरण	अनुमोदन दिनांक
1	2014-15	बीसीएलएल की 14वीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक दिनांक 25.06.2014 के एजेंडा बिन्दु क्र. 4 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में वेतनवृद्धि की गई।	17/12/2014
2	2015-16	बीसीएलएल की 18वीं बोर्ड बैठक दिनांक 30.06.2015 के एजेंडा बिन्दु क्र.-10 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में वेतनवृद्धि की गई।	12/12/2015
	2016-17 2017-18	बीसीएलएल की 20वीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक दिनांक 11.05.2016 के एजेंडा बिन्दु क्र. 15 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में कार्यालय बीसीएलएल के कर्मचारियों की सेवावृद्धि एवं वेतनवृद्धि व अन्य सुविधायें प्रदान किये जाने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय को अधिकृत किया गया था। तत्तानुक्रम में तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया। उक्त समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय द्वारा वेतनवृद्धि की गई।	09/04/2018
4	2018-19	तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय द्वारा पूर्व के वर्षों की भांति वेतनवृद्धि की गई।	22/10/2018
5	2019-20	बीसीएलएल की 31वीं बोर्ड बैठक दिनांक 17.02.2020 के एजेंडा बिन्दु क्र.-10 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में वेतनवृद्धि की गई।	01/07/2020
6	2020-21 2021-22 2022-23 2023-24	मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 22/07/2023 में दिये गये नियम-निर्देशों अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय द्वारा सक्षम स्वीकृति अनुसार वेतनवृद्धि की गई।	02/05/2024



अनुभाग अधिकारी

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

// कारण बताओ सूचना पत्र //

श्री आशुतोष शाहिल्य
सम्पत्ती एण्ड सिक्योरिटी ऑफिसर
भोपाल सिटी लिंक लिमि. भोपाल

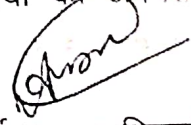
विषय- आईटीएमएस प्रोजेक्ट के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

लेख है कि आपको बीसीएलएल के आईटीएमएस प्रोजेक्ट से संबंधित कार्या का दायित्व सौंपा गया है, परन्तु यह संज्ञान में आया है कि उपरोक्त प्रोजेक्ट की नस्ती का संधारण सुचारु रूप से नहीं जाया गया एवं कार्य की प्रगति में विलम्ब परिलक्षित हुआ है।

आपका उक्त कृत्य के कारण प्रोजेक्ट को चालू करने हेतु अनावश्यक विलम्ब हुआ है। आपका उक्त कृत्य संविदा अनुबंध का उल्लंघन है।

अतः स्पष्ट करें कि आपके उक्त कृत्य के लिये क्यों ना आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये। उक्त के संबंध में आगामी 07 दिवस की अवधि में कारण स्पष्ट नहीं करने की स्थिति में आपका विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जायेगी।

साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रोजेक्ट संबंधी नस्ती का सुचारु संधारण करें एवं समस्त जानकारी एवं दस्तावेजों से नियमित रूप से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाकर प्रोजेक्ट को समयावधि में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

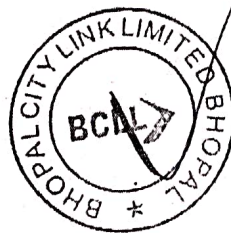

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सिटी लिंक लिमि.

पृ.क्र./बी.सी.एल.एल./2025/

भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :-

- माननीय महापौर महोदय सह चेयरमैन, बीसीएलएल की ओर निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
- माननीय महापौर परिषद सदस्य (यातायात प्रबंधन) बीसीएलएल की ओर निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
- आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल सह प्रबंध संचालक, बीसीएलएल की ओर सूचनार्थ।



मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सिटी लिंक लिमि.


अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
भोपाल सिटी लिंक लिमि.
भोपाल (म.प्र.)

विषय:- कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- पत्र क्रं. 6863, दिनांक 19.06.2025।

निवेदन है कि आवेदक को आईटीएमएस प्रोजेक्ट कार्य की प्रगति में विलम्ब विषयक जारी कारण बताओ सूचना पत्र के परिपालन में स्पष्टीकरण निम्नानुसार है:-

उपरोक्त के संबंध में अनुरोध है कि आवेदक को सौंपे गये आईटीएमएस संबंधी कार्यों के दायित्व के परिपालन में आईटीएमएस संबंधी कार्यों के निष्पादन हेतु अधिकृत फर्म एमनेक्स टेक्नालॉजी एवं पूर्व में अधिकृत कंसलटेंट्स (एसपीएमयू) फर्म पीडब्ल्यूसी के साथ समन्वय स्थापित कर सम्पादित किया जा रहा था। मेसर्स पीडब्ल्यूसी द्वारा आईटीएमएस प्रोजेक्ट के अंतर्गत निविदा दस्तावेज निर्माण, निविदा के मूल्यांकन एवं अन्य कार्यवाही की गई थी। मेसर्स पीडब्ल्यूसी एवं एमनेक्स के साथ आईटीएमएस प्रोजेक्ट के संबंध की गई कार्यवाही की जानकारी से आवेदक द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया एवं आयुक्त महोदय के समक्ष आयोजित हुई समीक्षा बैठकों में भी अवगत कराया गया था।

मेसर्स पीडब्ल्यूसी द्वारा 26.09.2024 तक आईटीएमएस प्रोजेक्ट के संबंध में सभी मॉड्यूल का कार्य एवं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई थी, जिसके कारण शेष तकनीकी कार्यवाही मेसर्स पीडब्ल्यूसी के माध्यम से नहीं की जा सकी। तत्पश्चात् में आवेदक द्वारा आईटीएमएस प्रोजेक्ट सम्बन्धी कार्यवाही की गई एवं उपरोक्तानुसार जानकारी तैयार करने एवं कार्यवाही करने में समय लगा।

यह भी निवेदन है कि कारण बताओ सूचना पत्र के परिपालन में आईटीएमएस प्रोजेक्ट कार्य के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को भविष्य में नियमित रूप से अवगत कराया जाकर संबंधित नस्ती का सुचारु रूप से संधारण किया जायेगा तथा कार्य निष्पादन में किसी प्रकार का विलम्ब नहीं होना सुनिश्चित किया जाएगा।

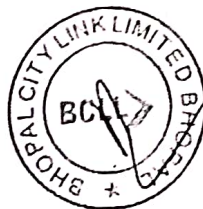
अतः आग्रह है कि कृपया कारण बताओ सूचना पत्र को उपरोक्त दर्शाये स्पष्टीकरण के तारतम्य में नस्तीबद्ध किये जाने के अनुरोध है।

दिनांक - 24/6/25

आशुतोष शांडिल्य
सेफ्टी एंड सिक्यो. ऑफिसर
भोपाल सिटी लिंक लिमि.

प्रतिलिपि:-

- माननीय महापौर महोदया, सह चेयरमेन, बीसीएलएल ओर निज सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
- माननीय महापौर परिषद सदस्य (यातायात प्रबंधन) बीसीएलएल ओर निज सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
- आयुक्त नगर पालिक निगम, भोपाल की ओर निज सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।



आशुतोष शांडिल्य
सेफ्टी एंड सिक्यो. ऑफिसर
भोपाल सिटी लिंक लिमि

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग